"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 — आश्विन 18, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–20/2016/18.– छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 86 सहपठित धारा 355 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा में सेवा के निबंधन तथा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

   (3) ये नियम राज्य में सभी नगरपालिकाओं तथा नगर पंचायतों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961);

   (ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (घ) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

(ङ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(च) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/ स्वास्थ्य) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है।

3. **लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; या

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की

तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व सैनिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पाँच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के

अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त हैं, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट हमेशा की तरह मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होना चाहिये, जैसा कि अनुसूची-तीन में यथा दर्शित हैं।

(तीन) शुल्क– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसा कि आवश्यक समझा जाये, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चय न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि आयोग शासन के परामर्श से, समय–समय पर विहित करे।
(2) आयोग, प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोजित करेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर घोषित करे।
(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिला, निःशंक्त व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिक के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।
(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से

अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा शासन को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(5) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(6) किसी अभ्यर्थी को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(7) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(8) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(9) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(10) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन वृद्धि हेतु विधिमान्य कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी/अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में से आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25% तक, जो भी अधिक हो, के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में उनके नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पद में उनके वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो, उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर प चातवर्ती चयन में विचार किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य के आधार पर वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. आयोग से परामर्श.– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ शासन द्वारा आयोग को भेजी जायेगीः–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियाँ।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची.– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, इस पर विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **नियुक्तियां.**– (1) अधिनियम तथा इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य शासन सेवा के समस्त श्रेणी में सभी पदों पर नियुक्तियां करेगा।
(2) यदि कोई अभ्यर्थी आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर वैध कारणों के बिना, अपना कार्यग्रहण करने में विफल रहता है तो नियुक्ति का उसका दावा समाप्त हो जायेगा। राज्य शासन, यदि उचित समझे, कार्यग्रहण करने हेतु समय में वृद्धि कर सकेगा।

21. **घोषणा.**– (1) राज्य में नगरपालिका सेवा के पद के विरुद्ध नियुक्त कोई व्यक्ति, सेवा में कार्यग्रहण करने के ठीक पूर्व उसके स्वामित्व की तथा उसके परिवार में आश्रित सदस्यों के स्वामित्व की स्थावर संपत्ति का विवरण घोषित करेगा। वह ऐसे रीति में, जैसा कि अपेक्षित किया जाये, भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा भी घोषित करेगा तथा यह भी घोषित करेगा कि वह राज्य के नगरपालिका सेवा के सदस्य के रूप में शासित करने वाले निबन्धनों तथा शर्तों से विज्ञ है।

(2) राज्य नगरपालिका सेवा का प्रत्येक सदस्य, निम्नलिखित के संबंध में उद्‌घोषणा का कथन प्रस्तुत करेगा:–

(क) किसी पार्षद या पदाधिकारी या नगरपालिका सेवाओं में नियोजित व्यक्ति से उसका सम्बन्ध;

(ख) किसी व्यक्ति से उनके द्वारा ली गई ऋण राशियों का विवरण; और

(ग) उसके द्वारा स्वामित्व या अर्जित अथवा उस पर आश्रित उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा चल और अचल संपत्ति।

(3) राज्य शासन, आदेश द्वारा, प्रारूप जिसमें ऐसी घोषणायें की जायेंगी, विहित कर सकेगा तथा व्यक्ति जो ऐसी घोषणा को अभिरक्षण में रखेगा, के संबंध में आदेश पारित कर सकेगा।

22. **चिकित्सा प्रमाणपत्र.**– इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में भर्ती किये गये किसी व्यक्ति से, यह अपेक्षा किया जायेगा कि वह राज्य शासन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से विहित प्ररूप में स्वस्थता का चिकित्सकीय प्रमाणपत्र यह दर्शाने के लिए अभिप्रमाणित करे और प्रस्तुत करे कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और वह ऐसे किसी शारीरिक विकार से मुक्त है जिससे उसके कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में विघ्न पड़ने की संभावना है।

23. **स्थायीकरण.**– परिवीक्षाधीन किसी व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि के पश्चात् स्थायी किया जायेगा, यदि,–

(क) उसने विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ख) संचालक यह प्रमाणित कर दे कि उसकी जानकारी में उस परिवीक्षाधीन के संनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया है।

24. **पदकम सूची.**– सेवा के व्यक्तियों के लिए एक पदकम सूची ऐसे क्रम में तैयार की जायेगी, जिसमें उनके नाम, वरिष्ठता के कम में सूचीबद्ध हो:

परन्तु प्रत्येक शाखा या पदों के लिए पृथक पदकम सूची तैयार की जायेगी।

25. वरिष्ठता.— सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:—

(क) सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति— (एक) सेवा में सीधे भर्ती किये गये सदस्य की वरिष्ठता, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान उसकी नियुक्ति की दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्ति, परिवीक्षा पर साथ साथ नियुक्त किये गये हों तो उनकी वरिष्ठता ऐसे मेरिट क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी जिसमें समिति ने उनकी नियुक्ति के लिये अनुशंसा के साथ सूचीबद्ध किया हो।

(दो) ऐसे सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के, स्थायीकरण पर, वरिष्ठता का कम वही होगा यदि स्थायीकरण का आदेश परिवीक्षा की सामान्य कालावधि की समाप्ति पर दिया गया हो। तथापि यदि किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की कालावधि बढ़ा दी गई हो तो राज्य शासन यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वहीं वरिष्ठता कम दी जानी चाहिए, जो उसकी (उस स्थिति में) दी गई होती, यदि वह किसी विस्तार के बिना परिवीक्षा की सामान्य कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, स्थायी हो गया होता या उसे निचली वरिष्ठता कम दी जानी चाहिए।

(ख) पदोन्नत नगरपालिका अधिकारी— पदोन्नत नगरपालिका अधिकारी की वरिष्ठता की गणना उस वर्ग में जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है, नियमित पदस्थापना की तारीख से की जायेगी:

परंतु जब दो या अधिक पदोन्नत नगरपालिका अधिकारी उसी तारीख से स्थायी किये जाए तो राज्य शासन, उसी क्रम में उनकी वरिष्ठता का अवधारण करेगा जिसमें उनके नाम निचली प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशंसित सूची, यदि कोई हो, में आये हों:

परंतु यह और कि पदोन्नत नगरपालिका अधिकारी तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कमशः उनकी पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ग) स्थानापन्न नगरपालिका अधिकारी— (एक) जब कोई स्थायी नगरपालिका अधिकारी निम्न ग्रेड या पद पर पदावनत कर दिया जाता है तो वह निचली ग्रेड में वरिष्ठता सूची में अन्य समस्त पश्चात्वर्ती व्यक्तियों के ऊपर स्थान पायेगा, जब तक कि ऐसी आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी वरिष्ठता की भिन्न प्रास्थिति पदावनति आदेश में उपदर्शित न करे।

(दो) जब कोई स्थानापन्न नगरपालिका अधिकारी, अपनी मूलभूत सेवा या पद, जो वह अन्य सेवा या पद को स्थानांतरित होने से पूर्व धारण किया था, पर वापस कर दिया जाता है तो वह संबंधित सूची में वरिष्ठता के अपने स्थान पर वापिस होगा।

(तीन) उपरोक्त अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 11 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता की गणना उसे राज्य नगरपालिका सेवा के समान पद पर नियमित पदस्थापना की तारीख से की जायेगी।

26. अधिवार्षिकी.— सेवा का प्रत्येक सदस्य, ऐसी तारीख पर सेवानिवृत्त होगा जब वह द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के समान अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेता है।

27. कतिपय मामलों में सेवानिवृत्ति.— नियम 26 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा का कोई भी सदस्य, सेवा के पच्चीस वर्ष या पचपन वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने पर, राज्य शासन की अनुज्ञा से सेवानिवृत्त हो सकेगा। राज्य शासन, स्वप्रेरणा से तथा कोई कारण बताये बिना, सेवा के किसी भी व्यक्ति को सेवा के पच्चीस वर्ष या पचपन वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने के पश्चात्, चाहे वह अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लिया हो या न किया हो, अनिवार्य

सेवानिवृत्ति कर सकेगा। ऐसे समस्त मामलों में, जहां राज्य शासन इस नियम के अधीन सदस्य को सेवानिवृत्त करता है, वहां वह उसे तीन मास की सूचना देगा या तीन मास का वेतन सेवानिवृत्ति के पश्चात् तत्काल देगा।

28. **शास्तियां.**– निम्नलिखित शास्तियां, समुचित तथा पर्याप्त कारणों से सेवा के सदस्यों पर आरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्:–

(एक) निन्दा;

(दो) वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना;

(तीन) आदेश के भंग या उपेक्षा के कारण परिषद् को हुई किसी वित्तीय हानि की पूर्ण या आंशिक रूप में वेतन से वसूली;

(चार) निचले पद या समयमान अथवा समयमान में निचले स्थान में पदावनति;

(पांच) भविष्य में नियोजन के लिए अपात्रता के कारण सेवा से हटाना;

व्याख्या– निम्नलिखित, इस नियम के अर्थ के अंतर्गत शास्ति नही होगी, अर्थात्:–

(एक) निम्नलिखित की सेवाओं का समापन,–

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक की, उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियम और आदेश के अनुसार उसके परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति के दौरान या समाप्ति पर; अथवा

(ख) नियुक्त अस्थायी शासकीय सेवक की, आगामी आदेश तक, इस आधार पर कि उसकी सेवाओं की आवश्यकता नही रह गई है; अथवा

(ग) शासकीय सेवक की, जो अनुबंध के अनुसार नियोजित हो, ऐसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार।

(दो) परिवीक्षाधीन की सेवा से सेवामुक्ति का, उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके अंत में, विशिष्ट दोष के लिए या सेवा हेतु उसकी अनुपयुक्तता के आधार पर, इस नियम के अंतर्गत हटाये जाने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

(तीन) शासकीय सेवक को उसके वेतन के समयमान में दक्षतावरोध पर अवरोध को पार करने की उसकी अयोग्यता के आधार पर रोके जाना।

(चार) शासकीय सेवक की, उसके मामले में विचार करने के पश्चात् सेवा के उस श्रेणी या पद, जिसके लिए मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से पदोन्नति हेतु पात्र है, गैर पदोन्नति।

(पांच) सेवा के सदस्य की वापसी, जो कि उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, मूल पद पर इस कारण से जैसे कि नियमित पदधारी का प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति से वापसी या अधिक उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता का पदावनति के रूप में अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

29. **प्राधिकारी जो शास्तियां आरोपित कर सकता है.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 28 के खण्ड (एक) से (तीन) में वर्णित शास्तियां, सेवा के किसी भी सदस्य पर आरोपित कर सकेगा।

(2) अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 28 के खण्ड (चार) एवं (पांच) में वर्णित शास्तियां, केवल आयोग से परामर्श के पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोपित की जायेगी।

30. **कतिपय शास्तियों को आरोपित करने के लिए प्रकिया.**– (1) लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 37) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 28 के खण्ड (चार) एवं (पांच) के अधीन शास्तियों को सेवा के किसी भी सदस्य पर, तब तक आरोपित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे लिखित में उन आधारों की जानकारी, जिन पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है की सूचना न दे दी गई हो तथा उसके स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) उन आधारों को, जिन पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, विशिष्ट आरोप के रूप में रखा जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि सेवा के सदस्य को दस्तावेजों की सूची तथा परिस्थितियां, जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित हो और जिनका आदेश देते समय विचार किया जाना प्रस्तावित हो, के विवरण के साथ परिदत्त/संसूचित की जायेगी।

(3) सेवा के सदस्य को, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे उसकी प्रतिरक्षा के लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए तथा यह बताने के लिए कि क्या वह वैयक्तिक रूप से सुने जाने तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की वांछा करता है, अपेक्षित किया जायेगा।

(4) सेवा का आरोपित सदस्य अपना लिखित कथन तैयार करने के लिये, नगरपालिका के किसी अभिलेख के लिये निवेदन कर सकेगा, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी अनुमति से इन्कार कर सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसे अभिलेख, मामले से सुसंगत न हों या यदि ऐसे उपलब्ध दस्तावेजों को बनाना वांछनीय न हो या लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध हो।

(5) सेवा के सदस्य से लिखित कथन प्राप्त होने पर या यदि विहित समयावधि के भीतर, ऐसी लिखित उत्तर प्राप्त न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, सेवा के सदस्य के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए, उप–नियम (6) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(6) यदि सेवा का सदस्य, वैयक्तिक रूप से सुने जाने की इच्छा करे तो उसे सुना जायेगा। यदि वह मौखिक जांच की इच्छा करे या यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार जांच के लिये आदेश दे तो जांच अधिकारी, तदनुसार जांच करेगा, ऐसी जांच में साक्षी को केवल ऐसे अभिकथनों के संबंध में सुना जायेगा जो स्वीकार न किये गये हों और सेवा का आरोपित सदस्य, उन साक्षियों को बुलवाने एवं प्रतिपरीक्षण कराने हेतु स्वतंत्र होगा:

परन्तु जांच अधिकारी ऐसे कारणों के लिये जो लिखित में लिपिबद्ध किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसे साक्षी का साक्ष्य सुसंगत या सारवान न हो।

(7) जांच की समाप्ति पर जांच अधिकारी, प्रत्येक आरोप के संबंध में उनके कारणों सहित उसका निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा यदि जांच की कार्यवाहियां मूलतः लगाये गये आरोपों से भिन्न आरोप स्थापित करती हों, तो वह ऐसे आरोपों के संबंध में अपने निष्कर्ष भी उपलब्ध करायेगा:

परन्तु ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जायेंगे, जिसके संबंध में आरोपित सदस्य ने उन आधारों को स्वीकार न कर लिया हो या जिसके संबंध में उसको अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर न दिया गया हो।

(8) जांच के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) सेवा के सदस्य के विरूद्ध विरचित किये गये आरोप तथा उप–नियम (2) के अधीन उसको दिये गये आरोपों का विवरण;

(ख) उसकी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के दौरान लेखबद्ध साक्ष्य;

(घ) राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेश, यदि कोई हो और जांच के संबंध में जांच रिपोर्ट; और

(ङ) प्रत्येक आरोप के संबंध में निष्कर्ष और उसके कारण देते हुए रिपोर्ट।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और यह विनिश्चित करेगा कि जांच अधिकारी के कौन से निष्कर्षों को उसके द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(10) यदि नियुक्ति प्राधिकारी लिखित या स्वीकार किये गये आरोपों पर ध्यान देते हुए, नियम 28 के खण्ड (चार) से (पांच) में उल्लिखित शास्तियों में से कोई भी एक शास्ति आरोपित करने के संबंध में अनंतिम निर्णय पर पहुंचता है तो वह,–

(क) सेवा के सदस्य को उनके विनिश्चय सहित जांच रिपोर्ट की एक प्रति तामिल करेगा; और

(ख) क्यों न ऐसा आदेश प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में पारित किया जाना चाहिये के संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे कारण बताओ सूचना तामिल करेगा।

(11) नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा अभिलिखित या अनुमोदित निष्कर्षों तथा उप–नियम (10) के अधीन सेवा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रति–तर्क, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चित करेगा कि सेवा के सदस्य पर कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, आरोपित की जानी चाहिये और नियम 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मामले पर समुचित आदेश पारित करेगा तथा इस प्रकार पारित किये गये आदेश, सेवा के सदस्य पर तामिल किया जायेगा।

31. **कतिपय शास्तियों को आरोपित करने हेतु प्रकिया.**– (1) सेवा के सदस्य पर खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन किसी शास्ति को आरोपित करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि:–

(क) सेवा के सदस्य को उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सम्यक् संसूचना के साथ ही वे आधार जिन पर ऐसी कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया हो, की दस्तावेजों की प्रतिलिपि न दे दी गई हो और उसे ऐसा प्रति–तर्क, यदि वह इच्छुक हो, करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) ऐसे प्रति–तर्क, यदि कोई हो, पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी ने विचार न किया हो तथा यह आदेश सेवा के सदस्य को संसूचित न कर दिया गया हो।

(2) ऐसे मामले में, कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(एक) सेवा के सदस्य के विरूद्ध प्रस्तावित दंड के प्रज्ञापन की प्रति;

(दो) उसको संसूचित किये गये अभिकथन के विवरण की प्रति;

(तीन) उसका प्रति–तर्क, यदि कोई हो;

(चार) इस हेतु मामले में पारित आदेश उसके कारणों सहित।

32. **कतिपय मामलों में विशेष उपबंध.**– जब किसी सेवा के सदस्य पर उस आचरण के आधार पर शास्ति आरोपित की जाती है, जो उसे किसी आपराधिक आरोप का दोषसिद्ध ठहराये, तो नियम 30 तथा 31 के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा दण्ड देने वाला प्राधिकारी मामले पर विचार करने के पश्चात् एवं आयोग से परामर्श, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

33. **अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने पर निलंबन.**– (1) आरोपों के स्वरूप तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से सहमत हो जाता है कि सेवा का सदस्य जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो, निलंबित करना आवश्यक या वांछनीय है, तो वह अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी या संचालक, निलंबित करने का आदेश पारित कर सकेगा।

(2) यदि सेवा का कोई सदस्य, चाहे आपराधिक या किसी अन्य आरोप में अड़तालीस घण्टों या अधिक की कालावधि तक पुलिस की अभिरक्षा में रहे, तो वह ऐसे अभिरक्षा की तारीख से निलंबित समझा जाएगा।

(3) सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध आपराधिक आरोप पर आपराधिक कार्यवाहियां लंबित हो तथा आरोप, नगरपालिका के कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्यों से संबंधित हो या यदि उनसे नगरपालिका में उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो या उनमें नैतिक अधोपतन शामिल हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेक से, कार्यवाही समाप्त होने तक उसे निलंबित कर सकेगा।

34. **निलंबन की कालावधि के दौरान निर्वाह भत्ता.**— सेवा का सदस्य, जो निलंबित हो, निम्नलिखित भत्तों का हकदार होगा:—

(क) निलंबन के प्रथम वर्ष में, अवकाश नियमों के अधीन उस औसत अवकाश वेतन की धनराशि के आधे की दर से निर्वाह भत्ता तथा उसके पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए ऐसे वेतन के तीन का आठ (३/८) भाग।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, भत्ता, ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसके निलंबन का आदेश देने वाला प्राधिकारी निर्देशित करे,—

(एक) समय—समय पर निर्वाह भत्ते के अनुपात में मंहगाई भत्ता, जो, यदि वह अवकाश पर होता, उसके अवकाश वेतन की रकम से अधिक नहीं होगा; तथा

(दो) अन्य प्रतिकर भत्ता (पट्टाकृत आवास के बदले में मंजूर किये गये गृह भाड़ा भत्ता को छोड़कर) जो कि वह निलंबन के दिनांक को आहरित कर रहा था, मंजूर किया जा सकेगा।

35. **पुनः स्थापन पर वेतन एवं भत्ता तथा सेवा का व्यवहार.**— (1) यदि सेवा का सदस्य, जो पदच्युत या हटाया गया हो या जिसे निलंबित कर दिया गया हो, पुनः स्थापित किया जाये तो पुनःस्थापन के आदेश देने वाला प्राधिकारी—

(क) अनुपस्थिति की कालावधि के दौरान देय वेतन तथा भत्तों; और

(ख) क्या उपरोक्त कालावधि को कर्तव्य के रूप में माना जाएगा या नहीं,

के संबंध में विचार करेगा तथा आदेश पारित करेगा।

(2) जब उप—नियम (1) में वर्णित प्राधिकारी की यह राय है कि सेवा के सदस्य को सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा उसके निलंबन पूर्णतः न्यायोचित नहीं था तो उसे पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसका कि वह, यथास्थिति, उसके हटाये जाने या पदच्युत या निलंबन न किये जाने पर आहरित करता।

(3) अन्य परिस्थितियों में, सेवा के सदस्य को ऐसे वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी अवधारित करे:

परन्तु उप—नियम (2) तथा (3) के अधीन देय भत्ते, ऐसे भत्ते के लिये शासित सभी शर्तों के अध्यधीन होगा:

परन्तु यह और कि ऐसे वेतन तथा भत्तों का अनुपात, नियम 34 के अधीन देय भत्तों तथा अन्य भत्तों से कम नहीं होगा।

36. **अपीलीय अधिकारी.**— (1) सेवा का सदस्य, नियम 28 के खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन परनिन्दा के आदेश को छोड़कर, संचालक द्वारा उस पर आरोपित शास्ति के विरूद्ध, आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य शासन के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) राज्य शासन, पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उप—नियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के समाप्त होने के पश्चात्, किसी भी अपील को ग्राह्य कर सकेगा।

37. **अपील के प्ररूप, उसकी विषयवस्तु तथा प्रस्तुति.**— (1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने स्वयं के नाम से अपील प्रस्तुत करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को संबोधित की जायेगी, और,—

(क) उसमें शास्ति आरोपित करने वाले आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि तथा समस्त सारवान् कथन एवं तर्क, जिन पर अपीलकर्ता विश्वास करता है, सम्मिलित होंगे;

(ख) उसमें अनादरपूर्ण तथा अशिष्ट भाषा नहीं होगी; और

(ग) वह स्वयं में पूर्ण होगी।

38. अपील के निपटारे हेतु प्रकिया.— (1) अपील संक्षिप्त रूप से खारिज की जा सकेगी, यदि,—

(क) वह नियम 37 के अनुसार प्रस्तुत न की गई हो;

(ख) इन नियमों के अधीन अपील ग्राह्य नही हो;

(ग) वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत न की गई हो तथा देरी के लिए उचित कारण न दर्शाया गया हो;

(घ) वह पूर्व की अपील, जिसका पहले ही निपटारा किया जा चुका हो, की पुनरावृत्ति हो तथा मामले पर पुनः विचार करने के लिए तथ्य या परिस्थितियां प्रस्तुत न की गई हों:

परन्तु अपीलार्थी को, उन प्रत्येक मामलों में जिनमें कि अपील खारिज की गई हो, तथ्यों तथा कारणों की जानकारी दी जायेगी।

(2) यदि राज्य शासन ने सुनवाई के लिए अपील स्वीकार कर ली हो तो वह उस प्राधिकारी से, जिसके आदेशों के विरूद्ध अपील की गई हो, रिपोर्ट तथा अभिलेख मंगा सकेगा तथा विचार करेगा कि, क्या,—

(क) प्रस्तुत तथ्य, कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) वे तथ्य, जिन पर आदेश आधारित था, सिद्ध हो चुके हैं;

(ग) शास्ति समुचित, अपर्याप्त या अतिशय है;

और ऐसे विचार करने के पश्चात्, किसी मामले की भी अग्रिम जांच या विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा या कोई अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझेः

परन्तु राज्य शासन, शास्ति में तब तक वृद्धि नहीं करेगा, जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) राज्य शासन, शास्ति में वृद्धि के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामांकित नगरपालिका परिषद् के किसी पार्षद को उपस्थित होने और परिषद् के हित की सुरक्षा के लिये तर्क करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) विशेष मामलों में, राज्य शासन, नगरपालिका परिषद् तथा/या उनके कर्मचारी को, वकील के माध्यम से निवेदन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

39. कालावधि.— इस अध्याय के अधीन कालावधि की गणना, जहां तक हो सके, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 9) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

40. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का प्रभाव में लाया जाना.— प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध इन नियमों के अधीन अपील की गई हो, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को प्रभाव में लायेगा।

41. सेवा पुस्तकें.— (1) सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा पुस्तिका संधारित की जायेगी, जिसमें सेवा के सदस्य का अभिलेख और प्रत्येक प्रविष्टि होगी जिसे क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी।

(2) सेवा के प्रत्येक सदस्य को उसकी प्रथम नियुक्ति पर, सेवा पुस्तिका, उसके निजी व्यय पर दी जायेगी। सेवा पुस्तिका, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक की अभिरक्षा में रखी जायेगी और उसके स्थानान्तरण पर, सेवा पुस्तिका,

एक क्षेत्रीय संयुक्त संचालक से दूसरे क्षेत्रीय संयुक्त संचालक को हस्तांतरित की जायेगी अथवा प्रतिनियुक्ति की स्थिति में, दूसरे कार्यालय को सौंप दी जायेगी। क्षेत्रीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा पुस्तिका में की गई समस्त प्रविष्टियां नियमित रूप से भरी तथा अभिप्रमाणित की गई है। उसमें कोई विलोम अथवा ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिये। समस्त प्रविष्टियां सुपाठ्य और सम्यक् रुप से अभिप्रमाणित होनी चाहिये।

(3) क्षेत्रीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा के प्रत्येक सदस्य की सेवा पुस्तिका समुचित रूप से संधारित की गई है।

(4) जब पुरानी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के लिए कोई स्थान न हो तो नवीन सेवा पुस्तिका का उपयोग किया जायेगा और पुरानी पुस्तिकाओं को अतिरिक्त पृष्ठ जोड़कर अथवा उसमें कागज की पर्चियां चिपका कर प्रविष्टियां चालू नहीं रखी जायेंगी।

42. **गोपनीय रिपोर्ट.**– (1) सेवा के समस्त सदस्यों के लिए गोपनीय रिपोर्ट विहित प्रारूप में तैयार और संधारित की जायेगी।

(2) ये रिपोर्ट पूर्व वर्ष के लिए अप्रैल माह में लिखी जायेगी।

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिये गोपनीय रिपोर्ट नगरीय क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा लिखी जायेगी और उसकी संवीक्षा, अधिकारिता रखने वाले संयुक्त संचालक, जिले के कलेक्टर और तत्पश्चात् संचालक, नगरीय प्रशासन तथा विकास, छत्तीसगढ़ द्वारा की जायेगी, जो अपनी राय दर्ज करेगा तथा राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता तथा स्वास्थ्य अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी और उसकी संवीक्षा, अधिकारिता रखने वाले संयुक्त संचालक, जिले के कलेक्टर और संचालक, नगरीय प्रशासन तथा विकास, छत्तीसगढ़ द्वारा की जायेगी, जो अपनी राय दर्ज करेगा तथा राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। सेवा के प्रत्येक सदस्य की गोपनीय रिपोर्ट, राज्य शासन की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

(4) गोपनीय रिपोर्ट सर्वथा गोपनीय मानी जायेगी और उसमें दी गई प्रतिकूल टिप्पणियां, राज्य शासन द्वारा सेवा के संबंधित सदस्यों को संसूचित की जायेगी। उस सेवा के सदस्य, जिसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हो, को ऐसे टिप्पणियों को हटवाने हेतु राज्य शासन को अभ्यावेदन करने के लिए कोई रोक नहीं होगी। समस्त गोपनीय रिपोर्ट, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग में रखी जायेगी।

43. **वैयक्तिक नस्तियां.**– (1) सेवा के प्रत्येक सदस्य की वैयक्तिक नस्तियां, राज्य शासन के सचिवालय के साथ साथ संबंधित नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में भी सुरक्षित रखी जायेगी।

(2) राज्य शासन के सचिवालय में रखी जाने वाली वैयक्तिक नस्तियों में नियुक्ति, पदोन्नति, दण्ड तथा निलंबन के मूल आदेश और सेवा के सदस्य के पदीय जीवन से संबंधित ऐसे अभिलेख होंगे, जो उसके कार्य, चरित्र, आचरण आदि पर प्रकाश डालते हों; यतः परिषद् के कार्यालय में रखी जाने वाली वैयक्तिक नस्तियों में इस नियम में विनिर्दिष्ट कागजों की प्रतिलिपियां शामिल होंगी।

(3) वेतन निर्धारण.– राज्य नगरपालिका सेवा के अधिकारियों के वेतन निर्धारण आदेश, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे तथा ये स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा सत्यापित किये जायेंगे एवं अंतिम पृष्ठांकन संचालनालय द्वारा किया जायेगाः

परन्तु संचालनालय/संचालनालय के यांत्रिकी प्रकोष्ठ में पदस्थ अधिकारियों के संबंध में, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा सत्यापन कराने के पश्चात् संचालनालय द्वारा वेतन निर्धारण किया जायेगा।

44. **वेतन, कार्यग्रहण काल, अवकाश, भविष्य निधि, ऋण, प्रतिभूति तथा यात्रा भत्ता.**– (1) अधिनियम तथा इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर,–

(क) राज्य शासन के कर्मचारियों को शासित मूलभूत वेतन नियम तथा कार्यभार ग्रहण काल विनियम, सेवा के सदस्यों को लागू होंगे।

(ख) राज्य शासन के कर्मचारियों को शासित मूलभूत अवकाश नियम, सेवा के सदस्य को उपान्तरण सहित लागू होंगे, नियुक्ति प्राधिकारी अवकाश देने की शक्तियां अपने किसी भी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(ग) सेवा के सदस्यों का वेतन तथा अन्य पात्रतायें, जिनमें यात्रा भत्ता तथा अन्य सभी भत्ते सम्मिलित हैं, उस नगरपालिका परिषद् की निधि को प्रभारित होंगे जहां वह समय–समय पर कार्यरत रहा हो।

(2) भविष्य निधि, ऋण प्रतिभूति, यात्रा भत्ता तथा आचरण के संबंध में, शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लागू नियम, सेवा के सदस्य को लागू होगी।

(3) अवकाश स्वीकृति.– आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर, अन्य समस्त प्रकार के अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किए जाएंगे–

स. क्र.	स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी	स्वीकृति की सीमा	सदस्यों जिनके अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगे
(1)	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास	30 दिवस	• मुख्य नगरपालिका अधिकारी • क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी • नगरपालिका कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता /स्वास्थ्य अधिकारी
(2.1)	विभागाध्यक्ष	1 से 90 दिवस	• संचालनालय/क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी
(2.2)	विभागाध्यक्ष	31 से 90 दिवस	• मुख्य नगरपालिका अधिकारी • नगरपालिका कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी।
(3)	राज्य शासन	90 दिवस से अधिक	• राज्य नगरपालिका सेवा में सम्मिलित समस्त अधिकारी।

45. **शिथिलीकरण.**– अधिनियम तथा इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य शासन व्यक्तिगत मामले में, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों को, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायपूर्ण तथा उचित प्रतीत हो, शिथिल कर सकेगा:

परन्तु मामले का निपटारा इन नियमों में यथा उपबंधित रीति से कम हितकर रूप में नहीं किया जायेगा।

46. **व्याख्या.**– यदि इन नियमों के संबंध में व्याख्या अपेक्षित हो तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा:

47. निरसन एवं व्यावृत्ति.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व राज्य नगरपालिका सेवा के सदस्यों को लागू समस्त नियम, इन नियमों द्वारा निरसित हो जायेंगे:

परंतु ऐसे निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने के अधिकार से, जो उप–नियम (1) द्वारा निरसित नियमों के अधीन उसको उपलब्ध था, वंचित नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "कक" वर्ग	04	प्रथम श्रेणी	15600–39100+7600	
2.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "क" वर्ग	18	प्रथम श्रेणी	15600–39100+6600	
3.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ख" वर्ग	115	द्वितीय श्रेणी	15600–39100+5400	
4.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ग" वर्ग	88	तृतीय श्रेणी	9300–34800+4300	
5.	मुख्य अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000+8700	
6.	अधीक्षण अभियंता	4	प्रथम श्रेणी	15600–39100+7600	
7.	कार्यपालन अभियंता	16	प्रथम श्रेणी	15600–39100+6600	
8.	सहायक अभियंता	48	द्वितीय श्रेणी	15600–39100+5400	
9.	स्वास्थ्य अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	15600–39100+5400	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिये]	प्रतिनियुक्ति द्वारा [(नियम 6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "कक" वर्ग	04	–	100%	–	
2.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "क" वर्ग	18	–	100%	–	
3.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ख" वर्ग	115	50%	50%	–	
4.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ग" वर्ग	88	50%	50%	–	
5.	मुख्य अभियंता	1	–	100%	–	
6.	अधीक्षण अभियंता	4	–	100%	–	
7.	कार्यपालन अभियंता	16	–	100%	–	
8.	सहायक अभियंता	48	27%	73%	–	
9.	स्वास्थ्य अधिकारी	7	–	100%	–	

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

स.क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ख" वर्ग	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	
2.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ग" वर्ग	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	
3.	सहायक अभियंता	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा शासन द्वारा यथा विहित कोई समतुल्य अर्हताएं।	

टीपः– 1. ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

2. शासन, समय समय पर, सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों का निर्धारण करेगा।

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्चतर पद में पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिये अपेक्षित न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "क"	06 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग "कक"	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके नामनिर्देशिती –अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग –सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संचालनालय –सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि –सदस्य	
2.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ख" एवं नगरपालिका परि"द नगर पंचायतों के राजस्व अधिकारी	06 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग "कक"		
3	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ग" एवं राजस्व निरीक्षक "कक/क/ख"	06 वर्ष	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ख"		
4.	कार्यालय अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक श्रेणी "ग", राजस्व उप निरीक्षक, सहायक ग्रेड–दो, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक सह लेखापाल, लेखापाल ग्रेड–दो	कार्यालय अधीक्षक, (10 वर्ष) राजस्व निरीक्षक श्रेणी 'ग' (7 वर्ष), राजस्व उप निरीक्षक (9 वर्ष), सहायक ग्रेड–दो, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक सह लेखापाल, लेखापाल ग्रेड–दो (10 वर्ष)			
5.	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष	मुख्य अभियंता		
6.	कार्यपालन अभियंता	5 वर्ष	अधीक्षण अभियंता		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	सहायक अभियंता	5 वर्ष	कार्यपालन अभियंता		
8.	उप–अभियंता	10 वर्ष	सहायक अभियंता		
9.	स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष	स्वास्थ्य अधिकारी		

टीपः– 1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग "ग" के पद पर पदोन्नति हेतु, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

2. लिपिक वर्गीय पदों में वरिष्ठता का निर्धारण, सहायक ग्रेड–दो/मुख्य लिपिक सह लेखापाल/लेखापाल के आधार पर किया जायेगा, परन्तु यदि पूर्व में पदोन्नति सहायक ग्रेड–दो से मुख्य लिपिक सह लेखापाल/लेखापाल/कार्यालय अधीक्षक में हुई हो, तो वरिष्ठता सहायक ग्रेड–दो के आधार पर किया जायेगा।

3. यदि, राजस्व उप निरीक्षक से राजस्व निरीक्षक श्रेणी "ग" में पदोन्नति होने से वरिष्ठता, राजस्व उप निरीक्षक के आधार पर होगी, किन्तु यदि राजस्व निरीक्षक श्रेणी "कक"/"क"/"ख" में पदोन्नति राजस्व उप निरीक्षक को मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग "ग" में पदोन्नति हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. जहां एक से अधिक पदों से पदोन्नति प्रस्तावित है, वहां उनकी संयुक्त वरिष्ठता, कार्यभार ग्रहण की तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी।

5. ऐसे लिपिकीय पद, जिनका वेतनबैण्ड 5200–20200+ग्रेड पे 2400 या उससे अधिक है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ग" में भी पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 4–20/2016/18.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–20/2016/18 दिनांक 10–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 10th October, 2017

NOTIFICATION

No. F4-20/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 86 read with sub-section (2) of Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the terms and conditions of the service of Chhattisgarh State Municipal (Executive/Engineering/Health) Services, namely:-

RULES

1. Short title, commencement and extent.—(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Municipal (Executive/Engineering/Health) Services, Recruitment and Conditions of Service Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all the Municipalities and Nagar Panchayats in the State.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context requires otherwise,—

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961);

(b) "**Appointing Authority**" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "**Commission**" shall mean the Chhattisgarh Public Service Commission;

(d) "**Committee**" means Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV;

(e) "**Examination**" means the competitive exam conducted in terms of Rule 11 of these rules;

(f) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(h) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "**Service**" means the Chhattisgarh State Municipal (Executive/ Engineering/Health) Services;

(l) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

(2) Words and expression used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

Applicability.—Without prejudice to the generality of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

3. Constitution of Service.—The following persons shall be included in the service, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment. - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, selection through competitive examination on the basis of merit;

(b) by promotion of members of the service; or

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number

of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily/permanently and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than

one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not before three years from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984.

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee, etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) Educational qualifications - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees: - The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Commission to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence relating to moral turpitude shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final. – (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall not be allowed to appear in the examination.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.-

(1) Selection for appointment in service shall be conducted at such intervals as the commission may prescribe, from time to time, in consultation with the Government.

(2) The Commission shall conduct competitive examinations on the basis of curriculum, as may be declared by the State Government from time to time in consultation with the Commission.

(3) The selection of candidates for the service shall be done in such a manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women, persons with disability and ex-servicemen shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(8) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates recommended by the Committee.- (1) The Commission shall prepare and forward a list to Government, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. Lists so prepared shall also be published for information to the general public.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(5) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(6) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(7) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(8) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(9) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.

(10) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation. – (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or extended period of probation or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee/officer, then the services of such probationer shall be terminated.

14. Appointment by Promotion.– (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall ordinarily meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions of eligibility for promotion.– (1) subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall

be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/ promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category from the above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of 1 year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, shall consider the name of public servant with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidate. – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of their seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission - (1) The list prepared in accordance with rule 16 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents :-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) the records of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select List.- (1) The Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if it feels that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The select list shall be ordinarily valid upto 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list. – (1) Appointment of the employee included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Appointments.—(1) Subject to the provisions contained in the Act and these rules, the State Government shall make appointments to all posts in all grades of the service.

(2) If a candidate fails to join duty without valid reasons within a period of one month from the date of receipt of an order, his claim to the appointment shall stand forfeited. The State Government may, if it deems fit, extend the time for joining.

21. Declaration.—(1) A person appointed against post of municipal service in the State shall declare immediately before joining service, details of immovable property in his ownership and in the ownership of the dependent members in his family. He shall, in a manner as may be required,

also affirm his faith in the Constitution of India, and declare that he is aware of the terms and conditions governing him as a member of the municipal service in the State.

(2) Every member of the State Municipal Service shall submit a statement of declaration regarding the following, namely:-

(a) his relationship with any councilor or office bearer or person employed in municipal services;

(b) details of amounts borrowed by him from any person; and

(c) movable and immovable property in his ownership or acquired by him or by any member of his family dependent on him.

(3) The State Government may prescribe by order the format in which the declarations shall be made and may pass order regarding the person who shall hold in custody such declaration.

22. Medical Certificate.—Subject to the provisions contained in these rules, a person recruited to service shall be required to obtain and submit a medical fitness certificate in the prescribed form from the medical board constituted by the State Government, to establish that his mental and physical health is good and that he is physically free from defects that could hamper him from discharging his official duties.

23. Confirmation.—A person under probation shall be confirmed after the period of probation, if,-

(a) he has completed the prescribed training and cleared a departmental examination, if any; and

(b) the Director certifies that nothing to the contrary has come to his knowledge regarding the integrity of the probationer.

24. Post-wise List.—A post-wise list shall be prepared for persons in the service in which their names will be listed in the order of seniority:

Provided that separate post-wise list shall be prepared for every branch or posts.

25. Seniority.—The seniority among members of the service shall be determined according to the following principles, namely:-

(a) Persons Directly Recruited – (i) the seniority of a member directly recruited to the service shall be determined according to the date of his appointment during the period of probation:

Provided that, if more than one person is simultaneously appointed on probation, then the seniority among them will be determined according to the order of merit in which the Committee had listed them with recommendation for appointment.

(ii) upon their confirmation, the order of seniority among persons so directly recruited shall remain the same if the confirmation order is granted on the normal completion of the period of probation. However if the period of probation of any person has been extended then the State Government shall determine whether the same order of seniority should be granted, which he would have got if he would have been confirmed after completing general probation period without any extension, or he should be granted a lower order of seniority.

(b) Promoted Municipal Officers – The seniority of a promoted municipal officer shall be counted from the date of regular posting in the category to which he is promoted:

Provided that, when two or more promoted municipal officers are confirmed on the same day, the State Government shall determine their seniority taking into consideration the order in which their names appear in the list, if any, recommending promotion from the lower category:

Provided further that seniority of promoted municipal officers and directly recruited candidates shall be determined according to the date of their promotion or appointment respectively.

(c) Officiating Municipal Officer – (i) when a permanent municipal officer is demoted to a lower grade or post, then in the lower grade he shall have precedence over all other subsequent persons in the seniority list, unless the authority issuing the order assigns in the demotion order a different position of seniority.

(ii) when an officiating municipal officer is returned to his original service or post, which he had occupied before being moved to another service or post, he shall also be returned to his position of seniority in the relevant list.

(iii) Notwithstanding anything contained above, the seniority of persons appointed under Rule 11 shall be counted from the date of regular posting in equivalent post of the State Municipal Services.

26. Superannuation.—Every member of the service shall retire on the date he attains the age of superannuation similar to that of Class-II Government servants.

27. Retirement in certain cases.—Notwithstanding anything contained in rule 26, any member of the service may retire with permission of the State Government on completion of twenty-five years of service or attaining fifty-five years of age. The State Government may, suo moto, and without having to assign any reason compulsorily retire a person after he has completed twenty-five years of service or attained fifty-five years of age, irrespective of whether he has attained age of superannuation or not. In all such cases where the State Government retires a member under this rule, it shall give him notice of three months or pay salary for three months immediately after retirement.

28. Penalties.—The following penalties may be imposed on members of the service on proper and sufficient grounds, namely:–

(i) censure;

(ii) stoppage of increment or promotion;

(iii) recovery from salary in full or in part any financial loss caused to the Council due to violation or neglect of an order;

(iv) demotion to lower post or time-scale or to lower position in time-scale;

(v) removal from service with causing ineligibility for employment in future:

Explanation.--The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely :--

(one) termination of the services;-

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary Government servant appointed until further orders on the ground that his services are no longer required; or

(c) of a Government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

(two) termination from service of a probationer for a specific fault or on ground of his unsuitability for service, during the period of his probation or at the end of it shall not be construed as removal under this rule.

(three) stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(four) non-promotion of a Government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(five) the returning back of a member of the service, who is officiating at a higher post, to his original post for reasons like the regular incumbent returning from training or deputation or a more suitable person being available shall not be construed as demotion.

29. Authority which may impose Penalties.—(1) The Appointing Authority may impose on any member of the service, penalties described in clauses (i) to (iii) in Rule 28.

(2) Subject to provisions contained in the Act and these rules, penalties described in clauses (iv) and (v) of Rule 28 may only be imposed by the Appointing Authority after consultation with the Commission.

30. Procedure for imposition of certain penalties.—Without prejudice to the provisions contained in the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850), penalties under clauses (iv) and (v) of Rule 28 shall not be imposed on any member of the service until he has been informed in writing about the grounds on which action is proposed and a fair opportunity has been granted to him to defend himself.

(2) The grounds on which action is proposed shall be presented in the form of specific charges, a copy of which shall be delivered/communicated to the member of service along with a list of documents and circumstances on the basis of which each charge is based and which is proposed to be relied upon while delivering the order.

(3) The member of service will be required to submit, within such time as the Appointing Authority may prescribe, a statement in writing of his defense and a statement whether he would like to be heard in person and would desire to present any witnesses.

(4) To prepare his written statement in writing, the accused member of the service may request for any document of the municipality but the Appointing Authority may, after recording reasons for doing so, refuse such permission, if in his opinion such documents have no relevance to the case or if it is not desirable to make such documents available or it is against the public interest or security of the State.

(5) On receipt of the statement in writing from the member of the service, or if within the prescribed time period no such written reply is received, the Appointing Authority may, if he considers it necessary, appoint an inquiry officer to investigate, in accordance with the provisions contained in sub-rule (6), the charges leveled against the member of service.

(6) If the member of service desires to be heard in person, the same shall be done. If he desires oral inquiry or if the Appointing Authority orders for such an inquiry, the inquiry officer shall inquire accordingly. In such an inquiry, witnesses shall be heard only in respect of statements not accepted, and the accused member of service shall be free to get such witnesses summoned and to cross-examine them:

Provided that the inquiry officer may refuse to summon a witness if, for reasons to be recorded in writing, in his opinion the evidence of such witness is not relevant or consequential.

(7) On completion of the inquiry, the inquiry officer shall submit an inquiry report, recording his conclusion with reasons thereof in respect of every charge, and if the inquiry proceedings establish charges other than the original charges, he shall also provide his conclusions regarding such charges:

Provided that no conclusion on such charges shall be recorded in respect of which the accused member has not accepted the grounds or in respect of which he has not been given an opportunity to defend himself.

(8) The inquiry records must include the following, namely:-

(a) the charges framed against the member of the service and description of charges served to him under sub-rule (2);

(b) written statement of his defense, if any;

(c) evidence recorded in the course of inquiry;

(d) orders issued by the State Government, if any, and investigation report relating to the inquiry;

(e) report containing conclusion and reasons thereof in respect of each charge.

(9) The Appointing Authority shall consider the inquiry records and decide on those conclusions of the inquiry officer that are to be accepted by him.

(10) If the Appointing Authority takes a provisional decision regarding imposing any one of the penalty mentioned in clause (iv) to (v) of Rule 28 in the light of any written or accepted charges, then he shall, –

(a) serve on the member of the service his decision along with a copy of the inquiry report; and

(b) serve a show cause notice to be replied to within a specified time, as to why an order should not be passed regarding the proposed action.

(11) After considering the recordings or conclusions approved by him, and the counter-arguments, if any, submitted by the member of the service under sub-rule (10), the Appointing Authority shall decide which penalty, if any, should be imposed on the member of the service, and subject to the provisions contained in rule 31, pass appropriate orders in the case and the orders so passed shall be served on the member of the service.

31. Procedure for imposing certain penalties.—(1) No order shall be passed to impose any penalty under clause (i) to (iii) on a member of the service until:-

(a) the member of the service has been duly informed regarding the proposed action against him along with a copy of the documents based on which such action has been proposed, and an opportunity has been provided to him to counter if he so desires; and

(b) The Appointing Authority or an officer so authorized has considered the counter reply, if any, and the order has been conveyed to the member of the service.

(2) In such cases, the documents of proceedings shall include the following, namely:-

(i) a copy of the memorandum of punishment proposed against the member of the service;

(ii) a copy of the description of statement served upon him;

(iii) his counter-reply, if any;

(iv) order passed in the case including the reasons for it.

32. Special provisions in certain cases.—When a penalty is imposed on a member of the service on the ground of a conduct which has led to his conviction on a criminal charge, then the provisions of rule 30 and 31 shall not apply and the authority awarding punishment shall after considering the matter and after consultation with the Commission, where such consultation is necessary, may pass such order as he may deems fit.

33. Suspension pending disciplinary proceedings.—(1) In view of the nature and circumstances of the charges, if the Appointing Authority and the Disciplinary Authority concurs that it is necessary or desirable that the member of service against whom the disciplinary proceedings are pending should be suspended, then, subject to the provisions contained in sub-section (2) of Section 86 of the Act, the Appointing Authority or Director, may pass an order of suspension.

(2) If, for a criminal or any other charge, a member of the service is in police custody for a continuous period of forty-eight hours or more, then he shall be deemed to be suspended from the date of such custody.

(3) If a criminal proceedings on a criminal charge is pending against the member of the Service and the charge relates to his actions as an employee of the municipality, or if it could lead to a disturbance in his discharge of official duties in the municipality, or if it involves moral turpitude, the Appointing Authority may, at his discretion, suspend him till the proceedings are over.

34. Subsistence allowance during the period of suspension.—A member of the service, who is suspended shall be entitled to the following allowances, namely:-

(a) in the first year of suspension, under leave rules subsistence allowance at the rate of half of the amount of average leave salary, and for subsequent period three-by-eight part of such salary.

(b) in addition to the above, allowances subject to such extent and on such conditions as the authority suspending him may order,-

(i) Dearness Allowance in proportion to the subsistence allowance, from time to time, which if he had been on leave, would not exceed the amount of leave salary; and

(ii) Other compensatory allowances (excluding house rent allowance approved in lieu of leased accommodation) as he was drawing on the date of suspension may be sanctioned.

35. Salary and allowances and treatment of service on reinstatement.—(1) If a member of service, who has been removed or dismissed or suspended is reinstated, then the authority ordering reinstatement shall consider and pass order in respect of,–

(a) the salary and allowances payable during the period of absence; and

(b) whether the above period shall be treated as on duty or not.

(2) When the opinion of the authority described in sub-rule (1), is that the member of service has been totally absolved of all charges or that his suspension was not entirely just, then he shall be paid full salary and allowances which he would have drawn had he not been, as the case may be, removed or dismissed or suspended.

(3) In other circumstances, a member of the service shall be paid such salary and allowances as the Competent Authority may determine:

Provided that the allowances payable under sub-rule (2) and (3) shall be subject to all the conditions governing such allowances:

Provided further that the proportion of such salary and allowances shall not be lower than the allowances payable under rule 34 and other allowances.

36. Appellate Authority.—(1) Except in cases of censure under clauses (i) to (iii) of rule 28, a member of the service may, within thirty days of receipt of order, appeal before the State Government against a penalty imposed on him by the Director.

(2) The State Government may, after lapse of the period specified in sub-rule (1), entertain any appeal for reasons to be recorded in writing.

37. Form for appeal, its content and submission.—(1) Every person preferring an appeal shall do so in his own name.

(2) Every appeal preferred under these rules shall be addressed to the Secretary, Department of Urban Administration and Development, and, –

(a) shall include an attested copy of the order imposing the penalty and all relevant statements and arguments on which the appellant relies;

(b) shall not contain any disrespectful and improper language; and

(c) shall be self-contained.

38. Procedure for disposal of appeal.—(1) An appeal may be summarily dismissed if,–

(a) it has not been presented according to rule 37;

(b) the appeal is not admissible under these rules;

(c) it has not been preferred within the time specified, and no reasons have been provided for the delay;

(d) if it is a repetition of an earlier appeal which has already been disposed off and no facts or circumstances have been given for reconsideration of the matter:

Provided that in every case where the appeal is rejected, the appellant shall be given facts and reasons for doing so.

(2) If the State Government has admitted an appeal for hearing, then it may call for report and records from the Authority, against whose order the appeal is preferred, and shall consider whether, -

(a) the facts submitted are sufficient to warrant action;

(b) the facts on which the order is based have been proved;

(c) the penalty is adequate, inadequate or excessive;

And after such consideration, it may refer any case for further inquiry or consideration or pass any other order that it may deem just and fair:

Provided that the State Government shall not increase the penalty until the Appellant has been provided an opportunity to show cause against the proposed increase.

(3) the State Government, in matter of increase of penalty, may permit any Councilor of the Municipal Council, nominated by the Chairman to be present and to argue to protect the interest of the Council.

(4) In special cases the State Government may permit the Municipal Council and/or its employee to plead through an advocate.

39. Period.—The period under this Chapter shall be counted, to the extent feasible, in terms of the provisions contained in the Indian Limitation Act, 1908 (No. 9 of 1908).

40. Enforcement of the order of the Appellate Authority.—The Authority, against whose order an appeal is preferred under these rules, shall enforce the order of the Appellate Authority.

41. Service Books.—(1) A Service Book shall be maintained for every member of the service, in which the service of the member shall be recorded and every entry shall be authenticated by the regional Joint Director.

(2) A Service Book shall be provided to every member of the service on his first appointment at his own expense. The Service Book shall be in the custody of the Regional Joint Director and on his transfer, the Service Book shall be transferred from one Regional Joint Director to another or it shall be submitted to another office in case of deputation. The Regional Joint Director shall ensure that all entries in the Service Book are regularly filled in and

authenticated. It should not contain any deletion or over-writing. All entries should be legible and duly authenticated.

(3) The Regional Joint Director shall ensure that the Service Book of every member of the service is maintained properly.

(4) When an old Service Book gets filled up entirely, it will be replaced by a new Service Book, and the old book shall not continue to be used by inserting new pages into it or by pasting pages on to it.

42. Confidential Report.—(1) Confidential Reports for all members of the service shall be prepared and maintained in the prescribed format.

(2) These reports shall be written in the month of April for the previous year.

(3) Confidential Reports for the Chief Municipal Officer shall be written by the Sub-Divisional Officer (Revenue) of the urban area and its review will be done by the Jurisdictional Joint Director, the Collector of the District and then the Director, Urban Administration and Development, Chhattisgarh, who shall enter his opinion and forward it to the State Government. The Confidential Report of the Executive Engineer, Assistant Engineer and Health Officer shall be written by the Chief Municipal Officer and its review will be done by the Jurisdictional Joint Director, the Collector of the district and the Director, Urban Administration and Development, Chhattisgarh, who shall enter his opinion and forward it to the State Government. The Confidential Report of every member of the service shall be in the custody of the State Government.

(4) The Confidential Report shall, at all times, be treated as confidential and the adverse comments contained therein shall be conveyed by the State Government to the concerned member of the service. There shall be no bar on a member of the service against whom adverse comments have been made to rePpresent to the State Government for deletion of such comments. All Confidential Reports shall be preserved in the Urban Administration and Development Department.

43. Personal Files.—(1) The personal files of every member of the service shall be preserved in the Secretariat of the State Government as also in the office of the concerned Municipal Council.

(2) The personal file maintained in the Secretariat of the State Government shall contain the original orders relating to appointment, promotion, punishment and suspension, and such documents relating to the official career of the member of the service, that shed light on his work, character, conduct, etc.; whereas the personal file maintained in the office of the Council shall contain copies of the papers specified in this rule.

(3) Pay fixation.—The pay fixation orders of the State Municipal Service Officers shall be issued by the regional office concerned and these shall be verified by the local fund audit and final endorsement shall be done by the Directorate:

Provided that in respect of officers posted in the Directorate/Technical Cell in the Directorate, the pay fixation shall be done by the Directorate after verification by the local fund audit.

44. Regulation of Pay, Joining Time, Leave, Provident Fund, Loan, Security and Travel Allowance.—(1) Except as provided in the Act and these rules,—

(a) the fundamental rules of pay and joining time regulations governing the employees of the State Government shall apply to the members of the service;

(b) the fundamental rules of leave regulations governing the employees of the State Government shall apply to the members of the service with the modification that the Appointing Authority may delegate the powers to sanction leave to any subordinate;

(c) the salary and other entitlements of the members of the service which includes travel allowance and all other allowances shall be charged to the fund of that municipal council where he is serving, from time to time.

(2) The rules applying to Class-II Government employees, in respect of provident fund, security for loan, travel allowance and conduct shall apply to members of the service.

(3) Sanction of Leave- except for casual / optional leave, all other forms of leave shall be sanctioned as follows –

S.No. (1)	Sanctioning Authority (2)	Sanctioning Limit (3)	Members whose leave will be sanctioned (4)
(1)	Joint Director, Urban Administration and Development	30 days	• Chief Municipal Officer • Executive Engineer / Assistant Engineer / Health Officer posted in the regional office • Executive Engineer / Assistant Engineer / Health Officer posted in the Municipal Office
(2.1)	Head of the Department	1 to 90 days	• Chief Engineer / Superintendent Engineer/ Executive Engineer / Assistant Engineer / Health Officer posted in the Directorate / Regional Office

1	2	3	4
(2.2)	Head of the Department	31 to 90 days	• Chief Municipal Officer • Executive Engineer / Assistant Engineer / Health Officer posted in the municipal office
(3)	State Government	More than 90 days	• All officers included in the State Municipal Service.

45. Relaxation.—Except as provided in the Act and in these rules, the State Government may relax the provisions contained herein in individual cases in a manner that seems just and fair:

Provided that in no case will the manner of dealing be lower than as provided in these rules.

46. Clarification.—If a clarification is required regarding these rules, the same shall be directed to the State Government, whose ruling shall be final.

47. Repeal and Savings.—(1) All rules in force applicable to the members of the State Municipal Service immediately before these rules come into force shall stand repealed by these rules:

Provided that any order passed or action taken under the provisions of the rules so repealed shall be deemed to have been passed or taken under these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall deprive any person from the right to appeal against any order which was available to him under the rules repealed by sub-rule (1).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy. Secretary

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S. No	Name of posts included in service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chief Municipal Officer "AA" Grade	04	Class-I	15600-39100+7600	
2.	Chief Municipal Officer "A" Grade	18	Class-I	15600-39100+6600	
3.	Chief Municipal Officer "B" Grade	115	Class-II	15600-39100+5400	
4.	Chief Municipal Officer "C" Grade	88	Class-III	9300-34800+4300	
5.	Chief Engineer	1	Class-I	37400-67000+8700	
6.	Superintending Engineer	4	Class-I	15600-39100+7600	
7.	Executive Engineer	16	Class-I	15600-39100+6600	
8.	Assistant Engineer	48	Class-II	15600-39100+5400	
9.	Health Officer	7	Class-II	15600-39100+5400	

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S. No.	**Name of post included in service**	**Number of duty posts**	**Percentage of number of posts to be filled in**			**Remarks**
			By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	**By promotion [See rule 6(1)(b)]**	**By transfer of person from other services [See rule 6(1)(c)]**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Chief Municipal Officer "AA" Grade	04	-	100%	-	
2.	Chief Municipal Officer "A" Grade	18	-	100%	-	
3.	Chief Municipal Officer "B" Grade	115	50%	50%	-	
4.	Chief Municipal Officer "C" Grade	88	50%	50%	-	
5.	Chief Engineer	01	-	100%	-	
6.	Superintending Engineer	04	-	100%	-	
7.	Executive Engineer	16	-	100%	-	
8.	Assistant Engineer	48	27%	73%	-	
9.	Health Officer	07	-	100%	-	

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of posts included in service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chief Municipal Officer "B" Grade	21 years	30 years	Graduate degree from any recognized University.	
2.	Chief Municipal Officer "C" Grade	21 years	30 years	Graduate degree from any recognized Universit	
3.	Assistant Engineer	21 years	30 years	Graduate Engineer in Civil/ Mechanical/ Electrical from a recognized University or an equivalent qualification as prescribed by the Government.	

Note:- 1. The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

2. Government will determine the posts of Civil/ Mechanical/Electrical Engineers, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See rule 14 and 15)

S. No.	Name of the service or post from which promotion to be made	Minimum period required to qualifying for promotion to the next higher post	Name of service or post to which promotion is to be made	Departmental promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chief Municipal Officer, Class "A"	06 years	Chief Municipal Officer, Class "AA"	1. Chairman, Public Service Commission or his nominee: **-Chairman** 2. Principal Secretary/ Secretary /Special Secretary (Independent Charge), Urban Administration and Development Department **- Member** 3. Commissioner/ Director, Directorate of Urban Admin and Development Department **-Member** 4. Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe **-Member**	
2.	Chief Municipal Officer, Class "B" and Revenue Officers in Municipal Council / Nagar Panchayat	06 years	Chief Municipal Officer, Class "A"		
3.	Chief Municipal Officer, Class "C" and Revenue Inspectors "AA/A/B"	06 years	Chief Municipal Officer, Class "B"		
4.	Office Superintendent, Revenue Inspector Class "C", Deputy Revenue Inspector, Assistant Grade-II, Head Clerk, Head Clerk cum Accountant, Accountant Grade-II	Office Superintendent, (10 years) Revenue Inspector Class "C" (7 years), Deputy Revenue Inspector (9 years), Assistant Grade-II, Head Clerk, Head Clerk cum Accountant, Accountant Grade-II (10 years)			
5.	Superintendent Engineer	5 years	Chief Engineer		
6.	Executive Engineer	5 years	Superintendent Engineer		

7.	Assistant Engineer	5 years	Executive Engineer		
8.	Sub-Engineer	10 years	Assistant Engineer		
9.	Sanitation Inspector	12 years	Health Officer		

NOTE:-1. For promotion to Chief Municipal Officer Grade "C" post, passing of Higher Secondary examination will be essential.

2. Determination of seniority in Clerical Grade posts shall be done on the basis of Assistant Grade-II/Head Clerk cum Accountant / Accountant, but if prior promotion to Head Clerk cum Accountant / Accountant/Office Superintendent was from Assistant Grade-II, then seniority shall be on the basis of Assistant Grade-II.

3. If promotion to Revenue Inspector Grade "C" is from Deputy Revenue Inspector, seniority will be on the basis of Deputy Revenue Inspector, but if promotion is to Revenue Inspector Grade "AA"/"A"/"B" then Deputy Revenue Inspector shall not be included for promotion to Chief Municipal Officer Grade "C"

4. Where promotion is proposed from multiple posts, their joint seniority will be determined on the basis of date of joining.

5. Such clerical posts whose pay-band is 5200-20200+grade pay or more than this shall also be considered for promotion to Chief Municipal Officer Grade "C".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.